"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 243] रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 जून 2013—ज्येष्ठ 27, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-242/18/2005.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. अनुसूची तीन के क्रमांक (5) में, शब्द "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि/विधि स्नातक को अभिमान्यता" के स्थान पर, शब्द "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी स्नातक" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. अनुसूची-तीन के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ी जाये, अर्थात्—
   "टीप— छत्तीसगढ़ राज्य के अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2013

क्रमांक एफ 4-242/18/2005.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-242/18/2005 दिनांक 13-06-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Raipur, the 13th June 2013

NOTIFICATION

No. F 4-242/18/2005.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in Chhattisgarh Arban Administration (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1986, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In column (5) of Schedule-III, for the words "Second class Bachelor's Degre from a recognised University, prefrence will be given to LL.B Greduate", the words "Greduation in second class from a recognised University" shall be substituted.

2. After Schedule-III, the following shall be added, namely :—
"Note— Upper age limit for Candidates of state of Chhattisgarh shall be relaxed as per the directions, issue from time to time, by the General Administration Department."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.